

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 242 सन 2022

अनवान :-

1. राजेन्द्र पुत्र फुलचन्द जाति सुनार निवासी मेधाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. बाधोदेवी पत्नी फुलचन्द जाति सुनार निवासी मेधाना तहसील नोहर।
2. सुमित्रादेवी पुत्री स्व फुलचन्द जाति सुनार निवासी मेधाना तहसील नोहर।
3. सरोज देवी पुत्री स्व फुलचन्द जाति सुनार निवासी मेधाना तहसील नोहर।
4. धर्मेन्द्र पुत्र स्व दयावन्ती पुत्री फुलचन्द जाति सुनार निवासी मेधाना तहसील नोहर
5. सुरेन्द्र पुत्र स्व दयावन्ती पुत्री फुलचन्द जाति सुनार निवासी मेधाना तहसील नोहर
6. प्रदीप सोनी पुत्र सुमन पुत्री फुलचन्द जाति सुनार निवासी मेधाना तहसील नोहर।
7. विकाश पुत्र सुमन पुत्री फुलचन्द जाति सुनार निवासी मेधाना तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 21/08/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 90/92 की कुल 5.1470 हैक् में 1510/5147 हिस्सा व रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 91/91 की कुल 3.3510 हैक् में से 7/18 हिस्सा भूमि फुलचन्द पुत्र नोरगराम नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में फुलचन्द पुत्र नोरगराम के नाम से दर्ज है फुलचन्द पुत्र नोरगराम वादी का पिता है फुलचन्द पुत्र नोरगराम का देहान्त हो चुका है फुलचन्द पुत्र नोरगराम के वारिसान में पुत्री दयावन्ती एवं सुमन का भी देहान्त हो चुका है इसप्रकार फुलचन्द पुत्र नोरगराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 है जो फुलचन्द पुत्र नोरगराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादी की माता प्रतिवादी संख्या 2,3 वादी की बहने प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 वादी की बहने दयावन्त व सुमन के वारिस है एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की फुलचन्द पुत्र नोरगराम जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी के हक हिस्सा की भूमि है राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में फुलचन्द पुत्र नोरगराम के नाम से दर्ज है फुलचन्द पुत्र नोरगराम वादी का पिता है फुलचन्द पुत्र नोरगराम का देहान्त हो चुका है फुलचन्द पुत्र नोरगराम के वारिसान में पुत्री दयावन्ती एवं सुमन का भी देहान्त हो चुका है इसप्रकार फुलचन्द पुत्र नोरगराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार

वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 है जो फुलचन्द पुत्र नोरगराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादी की माता प्रतिवादी संख्या 2 ,3 वादी की बहने प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 वादी की बहने दयावन्त व सुमन के वारिस है ने निवेदन किया की उन्हाने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 8 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 90/92 की कुल 5.1470हैक् में 1510/5147 हिस्सा व रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 91/91 की कुल 3.3510हैक् में से 7/18 हिस्सा भूमि फुलचन्द पुत्र नोरगराम नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में फुलचन्द पुत्र नोरगराम के नाम से दर्ज है फुलचन्द पुत्र नोरगराम वादी का पिता है फुलचन्द पुत्र नोरगराम का देहान्त हो चुका है फुलचन्द पुत्र नोरगराम के वारिसान में पुत्री दयावन्ती एवं सुमन का भी देहान्त हो चुका है इसप्रकार फुलचन्द पुत्र नोरगराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 है जो फुलचन्द पुत्र नोरगराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादी की माता प्रतिवादी संख्या 2 ,3 वादी की बहने प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 वादी की बहने दयावन्त व सुमन के वारिस है एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.वी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिग्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 90/92 की कुल 5.1470हैक् में 1510/5147 हिस्सा व रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 91/91 की कुल 3.3510हैक् में से 7/18 हिस्सा भूमि फुलचन्द पुत्र नोरगराम नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में फुलचन्द पुत्र नोरगराम के नाम से दर्ज है फुलचन्द पुत्र नोरगराम वादी का पिता है फुलचन्द पुत्र नोरगराम का देहान्त हो चुका है फुलचन्द पुत्र नोरगराम के वारिसान में पुत्री दयावन्ती एवं सुमन का भी देहान्त हो चुका है इसप्रकार फुलचन्द पुत्र नोरगराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 है जो फुलचन्द पुत्र नोरगराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।




वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 वादी की माता प्रतिवादी संख्या 2,3 वादी की बहने प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 वादी की बहने दयावन्त व सुमन के वारिस है एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 90/92 की कुल 5.1470 हैक् में 1510/5147 हिस्सा व रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 91/91 की कुल 3.3510 हैक् में से 7/18 हिस्सा भूमि फुलचन्द पुत्र नोरगराम नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 21/04/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. राजेन्द्र पुत्र फुलचन्द जाति सुनार निवासी मेधाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

वादी

बनाम

1. बाधोदेवी पत्नी फुलचन्द जाति सुनार निवासी मेधाना तहसील नोहर ।
2. सुमित्रादेवी पुत्री स्व फुलचन्द जाति सुनार निवासी मेधाना तहसील नोहर ।
3. सरोज देवी पुत्री स्व फुलचन्द जाति सुनार निवासी मेधाना तहसील नोहर ।
4. धर्मेन्द्र पुत्र स्व दयावन्ती पुत्री फुलचन्द जाति सुनार निवासी मेधाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
5. सुरेन्द्र पुत्र स्व दयावन्ती पुत्री फुलचन्द जाति सुनार निवासी मेधाना तहसील नोहर ।
6. प्रदीप सोनी पुत्र सुमन पुत्री फुलचन्द जाति सुनार निवासी मेधाना तहसील नोहर ।
7. विकास पुत्र सुमन पुत्री फुलचन्द जाति सुनार निवासी मेधाना तहसील नोहर ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 242 सन 2022 निर्णय दिनांक- 21/04/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 90/92 की कुल 5.1470हैक् में 1510/5147 हिस्सा व रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 91/91 की कुल 3.3510हैक् में से 7/18 हिस्सा भूमि फुलचन्द पुत्र नोरगराम नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/04/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)